बिहार सरकार
<u>सामान्य प्रशासन विभाग</u>

:: संकल्प ::

पटना–15, दिनांक 2.8.19

विषयः– कश्मीर के पुलवामा के अरिहाल में दिनांक–17.06.2019 को घटित आतंकवादी घटना में शहीद हुए बिहार के सपूत शहीद अमरजीत कुमार, जिला सीवान, के एक आश्रित को बिहार सरकार में नियुक्त करने के संबंध में।

जम्मू–कश्मीर में दिनांक–17.06.2019 को पुलवामा के अरिहाल में घटित आतंकवादी घटना में बिहार के शहीद अमरजीत कुमार (हवलदार), ग्राम–दीघवलिया, थाना–रघुनाथपुर जिला–सीवान वीरगति को प्राप्त हुए।

2. उपरोक्त आतंकवादी घटना में शहीद अमरजीत कुमार के किसी आश्रित को सरकारी नौकरी प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था। राज्य के जनप्रतिनिधि द्वारा भी इस आशय का अनुरोध सरकार से किया गया है।

3. अतः वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त शहीद अमरजीत कुमार (हवलदार), ग्राम–दीघवलिया, थाना–रघुनाथपुर जिला–सीवान की शहादत के सम्मान एवं उनके परिवारजनों को राहत हेतु निम्नांकित प्रस्तावों की स्वीकृति दी जाती हैः–

(क) शहीद अमरजीत कुमार (हवलदार), ग्राम–दीघवलिया, थाना–रघुनाथपुर जिला–सीवान के एक योग्य आश्रित को राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति प्रदान की जायेगी। योग्य आश्रित का चयन शहीद की विधवा की लिखित अनुशंसा पर संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(ख) यह नियुक्ति आश्रित की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार निम्नवर्गीय लिपिक (समूह–'ग') वेतन स्तर–2 अथवा परिचारी (समूह–'ग') वेतन स्तर–1 में की जायेगी।

(ग) शहीद के आश्रित की यह नियुक्ति पूर्णतया एकबारगी उपाय (One-time measure) के तहत की जायेगी। भविष्य के लिए इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण, छपरा/ जिला पदाधिकारी, सिवान, /निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती शोभा देवी, पत्नी–शहीद अमरजीत कुमार (हवलदार), ग्राम–दीघवलिया, थाना–रघुनाथपुर जिला–सीवान, पिन–841203 को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/- 31/7/19
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–22/विविध–01/2019सा0प्र0 10639 /पटना–15, दिनांक 2.8.19

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 तथा ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र की 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/- 31/7/19
सरकार के अपर सचिव।

E.drive b.m.special.anu.cir.sanlekh pulwama

ज्ञापांक–22 / विविध–01 / 2019सा0प्र0........10639........ / पटना–15, दिनांक 2.8.19

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–22 / विविध–01 / 2019सा0प्र0........10639........ / पटना–15, दिनांक 2.8.19

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि–सभी संबंधित विभागों / विभागाध्यक्षों / प्रमंडलीय आयुक्त, सारण, छपरा / विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक **दिनांक–23.07.2019 में मद संख्या–04** के प्रसंग में अनुपालन प्रतिवेदन / जिला पदाधिकारी, सिवान, / निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी / श्रीमती शोभा देवी, पत्नी–शहीद अमरजीत कुमार (हवलदार), ग्राम–दीघवलिया, थाना–रघुनाथपुर जिला–सीवान, पिन–841203, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

E.drive b.m.special.anu.cir.sanlekh pulwama